

अनुमण्डल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार

समक्ष- सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.- 21 / 2022 सी.आई.एस.क्र.- 21 / 2022

अजय कुमार मांझी बनाम बीबी कुलसुम एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
02.05.2026	वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 एवं 2 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजरी है। यह वाद वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 11.03.2026 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि वादी की ओर से दिनांक 11.03.2026 को स्वत्व वाद सं० 45/1982 में पारित समझौता डिक्री एवं उक्त वाद का आदेशफलक प्रस्तुत किया गया है जिसकी छायाप्रति वादी की ओर से दिनांक 11.05.2022 एवं दिनांक 05.12.2024 को प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रति वादी के अभिरक्षा में न होने से वादी उक्त दस्तावेज नियत समय के भीतर प्रस्तुत नहीं कर सका है। अतः विनम्र निवेदन है कि उक्त दस्तावेज को ग्रहण कर उसे प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाये। प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त आवेदन पर मौखिक आपत्ति व्यक्त किया गया है। उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी की ओर से दिनांक 11.05.2022 को स्वत्व वाद सं० 45/1982 में दिनांक 15.06.1982 को पारित आदेशफलक की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है एवं दिनांक 15.06.1982 को स्वत्व वाद सं० 45/1982 में पारित समझौता डिक्री-सह-सुलहनामा की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है। अतः न्यायहित में वादी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज को ग्रहण कर कमशः प्रदर्श - 1 एवं प्रदर्श - 2 अंकित किया जाता है। वाद आगामी दिनांक 13.05.2026 वास्ते वादी साक्ष्य। हस्ताक्षर ह०/- अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ	